4/12/24	पत्रावली विधि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। अभि. उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अभि. द्वारा अपील पत्रावली की आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहना व्यक्त करते हुये अपील को वापस लेने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। अभि. श्री. द्वारा अपील को वापस लेने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया। अतः अपील अपीलार्थी वापस लेने के संबंध में आवेदन की पालना में अपील निरस्त की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की।	9/19 Not Pyess [illegible] (सोमप्रकाश) [illegible] 4.12.24 [illegible] [illegible]

अति. सं. आयुक्त
कोटा